न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ (चूरू)

पीठासीन अधिकारीः ओमप्रकाश वर्मा (आरएएस)
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः 20 / 2017
निर्णय दिनांक : 27.08.2025
दायर दिनांक : 10.04.2017
जीसीएमएस नम्बर : 2025 / 00025

1. श्रवण राम पुत्र स्व. पुरखाराम जाति जाट निवासी ग्राम सारोठिया तहसील सुजानगढ़।

.....प्रार्थी

2. रामूराम पुत्र स्व. पुरखाराम जाति जाट निवासी ग्राम सारोठिया तहसील सुजानगढ़।
3. बुलाराम पुत्र स्व. पुरखाराम जाति जाट निवासी ग्राम सारोठिया तहसील सुजानगढ़।
4. श्रीमती गुलाब पुत्री स्व. पुरखाराम पत्नी श्री केशराराम जाति जाट निवासी रतनगढ़ रोड़ कस्बा छापर ।
5. श्रीमती पुनी पुत्री स्व. पुरखाराम पत्नी श्री रामूराम जाति जाट निवासी रतनगढ़ रोड़ कस्बा छापर ।

.....गौण अप्रार्थीगण

1. सीरामाराम पुत्र स्व. सुखाराम उर्फ सुरताराम जाति जाट निवासी ग्राम सारोठिया तहसील सुजानगढ़।
2. किशनाराम पुत्र स्व. सुखाराम उर्फ सुरताराम जाति जाट निवासी ग्राम सारोठिया तहसील सुजानगढ़।
3. भगवानाराम पुत्र स्व. सुखाराम उर्फ सुरताराम जाति जाट निवासी ग्राम सारोठिया तहसील सुजानगढ़।
4. श्रीमती रामी पुत्री स्व. सुखाराम उर्फ सुरताराम पत्नी श्री रामचन्द्र बैडा जाति जाट निवासी ग्राम लिखमणसर।
5. श्रीमती तुलछी पुत्री स्व. सुखाराम उर्फ सुरताराम पत्नी श्री मांगूराम घिंटियाला जाति जाट निवासी ग्राम परावा।

श्रीमती मोहनी पुत्री स्व. सुखाराम उर्फ सुरताराम पत्नी श्री रामनिवास घिंटियाला जाति जाट निवासी ग्राम परावा।

.....अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला–चूरू

राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क)
की उपधारा (।) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन

उपस्थित :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री नरेश कुमार सोनी।
2. अप्रार्थीगण 1 ता 6 अधिवक्ता श्री मोहनलाल बिशु उपस्थित।
3. गौण अप्रार्थीगण रामुराम, बुलाराम व पुना जरिये अधिवक्ता श्री दिनेश दाधीच।

–:निर्णयः–

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण के पिता स्व. पुरखाराम व अप्रार्थीगण के पिता स्व. सुखाराम उर्फ सुरताराम द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25.02.1959 कार्यालय सब रजिस्टार सुजानगढ़ के द्वारा साबिका खेत खसरा नम्बर 231 रकबा 55 बीघा 19 बिश्वा रोही मौजा चरला की भूमि में से 28 बीघा + 28 बीघा भूमि

उप खण्ड आधकारी

क्रय की गई थी उक्त खसरा भूमि के दक्षिणी तरफ कटाणी मार्ग उडवाला से चरला का स्थित है जो उक्त खेत मे आवागमन का एकमात्र रास्ता रहा है। सैटलमेन्ट के वक्त साबिका का खेत खसरा नम्बर 231 रकबा 55 बीघा 19 बिश्वा के नये खसरा नम्बर 292 रकबा 25 बीघा, खसरा नम्बर 293 रकबा 29 बीघा 15 बिश्वा, खसरा नम्बर 303 रकबा 1 बीघा 12 बिश्वा व खसरा नम्बर 295 रकबा 12 बिश्वा कायम किये गये जिसमे से 292 रकबा 25 बीघा की भूमि प्रार्थी के पिता के नाम खातेदारी मे दर्ज की गई व खसरा नम्बर 293 रकबा 29 बीघा 15 बिश्वा व खसरा नम्बर 303 रकबा 1 बीघा 12 बिश्वा कुल 2 किता खेत कुल रकबा 31 बीघा 7 बिश्वा की भूमि अप्रार्थीगण के पिता स्व. सुखाराम उर्फ सुरताराम के नाम खातेदारी मे दर्ज की गई जबकि पुरखाराम व सुखाराम के 28–28 बीघा भूमि खातेदारी मे दर्ज की जानी थी जिसके लिये प्रार्थी अलग से कार्यवाही प्रस्तुत करेगा। साबिका खसरा नम्बर 231 की भूमि में से उतरादी तरफ की 28 बीघा भूमि प्रार्थी के पिता द्वारा क्रय की गई थी तथा प्रार्थी अपने पिता के वक्त से इस खेत के दिखनादी और लगते कटाणी मार्ग से व उतरादी और की 28 बीघा भूमि के मध्य में से जो अप्रार्थीगण के पिता द्वारा खरीद की गई थी मे से होकर अपने पशुधन ट्रेक्टर इत्यादि सहित आवागमन करता रहा है। काश्त के वक्त अप्रार्थीगण आवागमन हेतु सम्पूर्ण रास्ता की भूमि को काश्त कर लेते है जिससे प्रार्थी को खेत को काश्त करवाने एवं फसल लेने मे असुविधा का सामना करना पड़ता है प्रार्थी के खेत के अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग भी नही लगता है, प्रार्थी के पिता व अप्रार्थीगण के पिता ने जब से उपरोक्त खेत का खरीद किया है तभी प्रार्थी व उसका परिवार अप्रार्थीगण के वर्तमान खेतो मे से अपने खेत मे अपने पशुधन ऊंटगाड़ा, ट्रेक्कर सहित आवागमन करते रहे है जिनको आवागमन का सतत् अधिकार प्राप्त है वर्तमान मे अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के खेतो को रास्ते को बंद कर दिया है तथा दिनांक 02.04.2017 को ऐलानियां धमकी दी है कि अप्रार्थीगण अपने खेतो मे से आवागमन नही करने देगे प्रार्थी के खेत मे आवागमन का एकमात्र रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 293 के मध्य मे से होकर इस खेत के दिखनादी तरफ स्थित कटाणी मार्ग से होकर रहा है जिसको बंद करने का अप्रार्थीगण को अधिकार नही है यदि प्रार्थी का आवागमन बंद कर दिया तो वह अपने खेत को काश्त नही कर सकेगा जिससे उसे अपूर्त्य क्षति होगी प्रार्थी के खेत के अन्य कोई रास्ता नही लगता है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी ने अपने खेत में आवागमन के लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन राजस्व रेकार्ड मे रास्ता अंकित करवाने व विद्यमान रास्ते को खुलावने के लिये यह आवेदन प्रस्तुत किया है जिसका वह अधिकारी है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

तहसीलदार सुजानगढ़ से रिपोर्ट मंगवाई गयी। तहसीलदार सुजानगढ़ ने पत्रांक 343 दि0 29.06.2017 के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि मौके पर ख0नं0 292 में आवागमन हेतु कोई चालु रास्ता नहीं है। मौके पर ख0नं0 293 के दक्षिणी सीमा के चिपते

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

कटाणी रास्ता है। जो वर्तमान में चालु है ख0नं0 292 के खातेदार द्वारा कटाणी रास्ते से ख0नं0 293 के मध्य से आवागमन किया जाता था। वर्तमान में ख0नं0 293 के खातेदारों द्वारा दक्षिण सीमा पर खाई लगाकर एवं उतरी सीमा पर खाई बाड़ आदि लगाकर रास्ता रोक रखा है। ख0नं0 292 में कटाणी रास्ते से जाने के लिए निकटतम दूरी ख0नं0 293 से होकर होगी।

अप्रार्थी संख्या 01 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया। प्रार्थी श्रवणराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) में प्रार्थना पत्र हैतुक प्रकटीकरण तथा विधि द्वारा वर्जित नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी न्यायालय द्वारा विचारण किया जाकर दिनांक 07.06.2019 को खारिज किया गया।

गौण अप्रार्थीगण संख्या 02, 03 तथा 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसमें। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित कुछ तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया जिसमें रास्ता सम्बन्धित तथ्य यह है कि "हमारे खातेदारी का खेत खसरा नं. 292 में आवागमन का रास्ता शुरू से ही अप्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा नं. 293 के दक्षिणी ओर कटाणी मार्ग जो उडवाला से चरला की ओर जाता है से फंटकर खसरा नं. 293 के पश्चिमी सीमा के पास–पास है जिससे हम गौणअप्रार्थीगण व प्रार्थी आवागमन करते आ रहे है जो मौके पर अब भी चालू है। अप्रार्थीगण द्वारा हम गौणअप्रार्थीगण के रास्ते को कभी भी बन्द नहीं किया गया है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र नारजगी रखने वाले लोगो के प्रभाव में आकर गलत पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। हम गौणअप्रार्थीगण के पिता के समय का खातेदारी का खेत खसरा नं. 292 तादादी 25 बीघा रोही ग्राम चरला में स्थित है जिसमें खरीद के समय से आवागमन का रास्ता खसरा नं. 293 की पश्चिमी सीमा के पास–पास कटाणी रास्ते से फंटकर हमारे खेत में है जिसमें शुरू से ही हम पशुधन, ऊंटगाडा, ट्रेक्टर ट्रोली सहित आवागमन करते है। खेत खसरा नं. 293 के बीच में से हमारा कभी रास्ता नहीं रहा है। अप्रार्थीगण ने हम गौणअप्रार्थीगण के पिता के समय से चले आ रहे उक्त रास्ते को कभी भी बन्द नहीं किया व मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा हमारे रास्ते में कभी अवरोध पैदा नहीं किया गया है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र नारजगी रखने वाले लोगो के प्रभाव में आकर गलत पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।"

अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया कि गौणअप्रार्थीगण व प्रार्थी के पिता पुरखाराम व अप्रार्थीगण के पिता सुखाराम उर्फ सुरताराम आपस में भतीजा–काका थे जिन्होने एक साथ साबिका खेत खसरा नं. 231 रोही चरला में से भूमि क्रय की थी जिसमें प्रार्थी व गौणअप्रार्थीगण के पिता पुरखाराम द्वारा उतरी ओर की 25 बीघा भूमि क्रय की गई थी व शेष भूमि अप्रार्थीगण के पिता सुरताराम उर्फ सुखाराम द्वारा क्रय की गई थी। प्रार्थी द्वारा उक्त पैरे में कुल 55 बीघा 19 बिश्वा अंकित की है जबकि दोनों द्वारा क्रय करने का अंकन

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

28+28=56 बीघा बताया है जो कि अपने आप में ही गलत अंकन है क्योंकि 56 बीघा भूमि ही नहीं थी तो 56 बीघा भूमि विक्रय कैसे हुई। प्रार्थी व गौणअप्रार्थीगण के पिता पुरखाराम द्वारा 25 बीघा भूमि ही क्रय की गई थी जिस पर ही प्रार्थी व गौणअप्रार्थीगण के पिता के समय से पहले पुरखाराम का अब प्रार्थी व गौणअप्रार्थीगण का कब्जा है। उक्त सम्पूर्ण साबिका खेत के दक्षिणी तरफ कटाणी रास्ता स्थित होना सही अंकन है। साबिका खसरा नम्बर 231 के नये खसरा नं. 292, 293, 303, 299 होना व खातेदारी दर्ज होना सही अंकित है, मगर गौणअप्रार्थीगण व प्रार्थी के पिता पुरखाराम द्वारा 25 बीघा भूमि के ही पैसे दिये गये थे व 25 बीघा भूमि ही क्रय की गई थी व 25 बीघा भूमि का ही कब्जा प्राप्त किया गया था। उस पर ही प्रार्थी व गौणअप्रार्थीगण का कब्जा है। साबिका खेत खसरा नं. 231 रोही चरला को सुरताराम उर्फ सुखाराम व प्रार्थी व गौणअप्रार्थीगण के पिता पुरखाराम ने अपने–अपने हिस्से की भूमि साथ मे क्रय की थी, क्रय करते समय विक्रेतागण को उस समय 760/– रूपये दिये गये थे जिनमें उस समय 60/– रूपये प्रार्थी व गौणअप्रार्थीगण के पिता द्वारा दिये गये थे व 700/– रूपये सुरताराम उर्फ सुखाराम द्वारा दिये गये थे। जब विक्रय पत्र निष्पादित करवाया गया उस समय विक्रेता नरसाराम पुत्र रिधाराम रेकार्डेड खातेदार नहीं था व भगवानाराम पुत्र गोरधनराम के साथ उसका भाई उमाराम खातेदार ओर था। मगर विक्रय पत्र नरसाराम व भगवानाराम ने करवाया था, विक्रय पत्र में 55 बीघा 19 बिश्वा भूमि का कुल रकबे का अंकन है जबकि विक्रय पत्रों में भूमियों का विक्रय का भी अंकन सही नहीं हो सका क्योंकि 56 बीघा भूमि थी ही नहीं। इसलिये ये अंकन जो किया गया है वोह सही नहीं है। प्रार्थी व गौणअप्रार्थीगण के पिता पुरखाराम द्वारा 25 बीघा भूमि ही क्रय की गई थी शेष सुरताराम उर्फ सुखाराम द्वारा क्रय की गई थी। प्रार्थी व गौणअप्रार्थीगण के पिता द्वारा उक्त 25 बीघा भूमि के 60/– रूपयों के अलावा शेष जो विक्रय की राशि थी वोह सुरताराम उर्फ सुखाराम को दे दिये थे। उक्त विक्रय पत्र जब तत्कालिन पटवारी हल्का को दिया गया तो राजस्व रेकार्ड के अनुसार विक्रेता का अंकन नहीं होने पर व प्रार्थी व गौणअप्रार्थीगण के पिता पुरखाराम व अप्रार्थीगण के पिता सुरताराम उर्फ सुखाराम ने विक्रेतागण व उनके शेष खातेदार सदस्यों की सहमति से राजस्व कर्मचारियो से प्रार्थी व गौणअप्रार्थीगण के पिता पुरखाराम के नाम उनके द्वारा क्रय की गई उतरी ओर की 25 बीघा भूमि व शेष 31 बीघा 07 बिश्वा भूमि सुरताराम उर्फ सुखाराम के नाम सही दर्ज की गई है। उसके अनुसार ही प्रार्थी व गौणअप्रार्थीगण उतरी दिशा की ओर का खसरा नं. 292 तादादी 25 बीघा पर कब्जा चला आ रहा है व खसरा नं. 293 तादादी 29 बीघा 15 बिश्वा व खसरा नं. 303 तादादी 1 बीघा 12 बिश्वा पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थी व गौणअप्रार्थीगण के खातेदारी का खेत खसरा नं. 292 में आवागमन का रास्ता शुरू से ही अप्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा नं. 293 के दक्षिणी ओर कटाणी मार्ग जो उडवाला से चरला की ओर जाता है से फंटकर खसरा नं. 293 के पश्चिमी सीमा के पास–पास है जिससे प्रार्थी व गौणअप्रार्थीगण आवागमन करते आ रहे है जो मौके पर अब भी चालू है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी व गौणअप्रार्थीगण के रास्ते को कभी भी बन्द नहीं किया गया है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र

उप खण्ड अधिकारी

नाराजगी रखने वाले लोगो के प्रभाव में आकर गलत पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थी व गौणअप्रार्थीगण के पिता के समय का खातेदारी का खेत खसरा नं. 292 तादादी 25 बीघा रोही ग्राम चरला में स्थित है जिसमें खरीद के समय से आवागमन का रास्ता खसरा नं. 293 की पश्चिमी सीमा के पास–पास कटाणी रास्ते से फंटकर प्रार्थी व गौणअप्रार्थीगण के खेत में है जिसमें शुरू से ही प्रार्थी व गौणअप्रार्थीगण पशुधन, ऊंटगाडा, ट्रेक्टर ट्रोली सहित आवागमन करते है। खेत खसरा नं. 293 के बीच में से प्रार्थी व गौणअप्रार्थीगण का कभी रास्ता नहीं रहा है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी व गौणअप्रार्थीगण के पिता के समय .से चले आ रहे उक्त रास्ते को कभी भी बन्द नहीं किया व मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी व गौणअप्रार्थीगण रास्ते में कभी अवरोध पैदा नहीं किया गया है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र नाराजगी रखने वाले लोगो के प्रभाव में आकर गलत पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

दिनांक 10.07.2019 को अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 07 प्रस्तुत किया गया जिसे दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार सुजानगढ़ से पुनः बिन्दुवार रिपोर्ट ली गई जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने भू–अभिलेख निरीक्षक रिपोर्ट व फर्द मौका सहित रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 292 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 293 के मध्य से समतल जमीन से होकर कटाणी रास्ता तक आवागमन किया जाता रहा है। लेकिन वर्तमान में ख0नं0 293 के खातेदार द्वारा इस खसरे की पश्चिमी सीमा पर खाली जमीन छोड़कर रास्ता होना मौके पर बताया है जो कि मौके पर टिब्बे की ज़मीन है। प्रार्थी द्वारा जिस रास्ता की मांग की गयी है वो निकटतम है। वैकल्पिक तौर पर प्रार्थीगण ख0नं0 293 के पूर्व में स्थित ख0नं0 1045/294 व 1094/294 के खेतों में से पगडण्डी बनाकर आवागमन कर रहे है जो कि पड़ौसी खातेदारों के खेत है।

तहसीलदार सुजानगढ़ से पुनः प्राप्त मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थी की ओर से पुनः प्रार्थना–पत्र मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर आपत्ति हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसीलदार सुजानगढ़ की दोनों रिपोर्ट में भिन्नता है व मौके की वास्तविक स्थिति के विपरीत प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थी अनपढ़ है जिसे जानकीरी नहीं दी गई व ना ही पूछताछ की गई। अप्रार्थीगण की खातेदारी के खेत ख0नं0 293 के पश्चिमी सींव के पास–पास प्रार्थी श्रवणराम व उसके भाई रामराम, बुलाराम अपने खातेदारी केखेतों में हमेशा से आवागमन कर रहे है तथा मौके पर पुख्ता रास्ता कायम है व रास्ता पूर्ण रूप से खुला है। पटवारी द्वारा उक्त रास्ता बंद होना गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है । अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आपत्ति स्वीकार कर पीठासीन अधिकारी द्वारा अथवा तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण करवाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि दोनों ही मौका रिपोर्ट तहसीलदार की देखरेख में पक्षकारान की उपस्थिति में तात्कालीन हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई है जो कि मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार है। अप्रार्थीगण ने बिना किसी आधार के उक्त प्रार्थना पत्र करीब 8 वर्षों पश्चात प्रस्तुत किया है ओर लगातार इस मामले का विलम्बित कर रहे है। अप्रार्थीगण के खेत

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

ख0नं0 293 के पश्चिमी सींव के पास कभी कोई रास्ता आवागमन हेतु नहीं रहा है और ना ही मौके पर कायम है। प्रार्थीगण का रास्ता वादगत खेत ख9नं90 293 के मध्य में से होकर रहा है जिसको दोनों ही मौका रिपोर्ट में, राजसव अधिकारियों द्वारा बखुबी दर्शित किया गया है। मौका रिपोर्ट किसी भी प्रकार से मौका स्थिति से विपरीत नहीं है। प्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये। प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाना उचित प्रतीत होने की स्थिति में दिनांक 10.06.2025 को ''प्रार्थना पत्र आपत्ति मौका रिपोर्ट एवं पुनः उच्च अधिकारी से रिपोर्ट मंगवाने बाबत'' खारिज किया गया।

बहस विद्वान अभिभाषकगण प्रार्थना–पत्र 251 "क" राज.काश्त. अधि. सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रकरण में दो बार मौका निरीक्षण किया गया है। दोनों रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि मौके पर ख0नं0 292 में आवागमन हेतु कोई चालु रास्ता नहीं है। मौके पर ख0नं0 293 के दक्षिणी सीमा के चिपते कटाणी रास्ता है। जो वर्तमान में चालु है ख0नं0 292 के खातेदार द्वारा कटाणी रास्ते से ख0नं0 293 के मध्य से आवागमन किया जाता था। वर्तमान में ख0नं0 293 के खातेदारों द्वारा दक्षिण सीमा पर खाई लगाकर एवं उतरी सीमा पर खाई बाड़ आदि लगाकर रास्ता रोक रखा है। ख0नं0 292 में कटाणी रास्ते से जाने के लिए निकटतम दूरी ख0नं0 293 से होकर होगी। दोनों बार एक ही रिपोर्ट आई है तथा रिपोर्ट में जो रास्ता बताया गया है उसी से आते रहे हैं। जबकि अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थी अधिवक्ता के तथ्यों को अस्वीकारते हुए कथन किया प्रार्थी के खातेदारी का खेत खसरा नं. 292 में आवागमन का रास्ता शुरू से ही अप्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा नं. 293 के दक्षिणी ओर कटाणी मार्ग जो उडवाला से चरला की ओर जाता है से फंटकर खसरा नं. 293 के पश्चिमी सीमा के पास–पास है जिससे प्रार्थी व गौणअप्रार्थीगण आवागमन करते आ रहे है जो मौके पर अब भी चालू है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी व गौणअप्रार्थीगण के रास्ते को कभी भी बन्द नहीं किया गया है। प्रार्थी व गौणअप्रार्थीगण के पिता के समय का खातेदारी का खेत खसरा नं. 292 तादादी 25 बीघा रोही ग्राम चरला में स्थित है जिसमें खरीद के समय से आवागमन का रास्ता खसरा नं. 293 की पश्चिमी सीमा के पास–पास कटाणी रास्ते से फंटकर प्रार्थी व गौणअप्रार्थीगण के खेत में है जिसमें शुरू से ही प्रार्थी व गौणअप्रार्थीगण पशुधन, ऊंटगाडा, ट्रेक्टर ट्रोली सहित आवागमन करते है। खेत खसरा नं. 293 के बीच में से प्रार्थी व गौणअप्रार्थीगण का कभी रास्ता नहीं रहा है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी व गौणअप्रार्थीगण के पिता के समय से चले आ रहे उक्त रास्ते को कभी भी बन्द नहीं किया व मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी व गौणअप्रार्थीगण रास्ते में कभी अवरोध पैदा नहीं किया गया है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र नाराजगी रखने वाले लोगो के प्रभाव में आकर गलत पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। परन्तु अप्रार्थीगण के इनत तथ्यों को यदि दृष्टिगत रखा जाये तो मौके की रिपोर्ट इसके विपरीत है। तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में दो बार रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। जिनमें अंकित किया है कि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 292 में

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

आवागमन हेतु खसरा नम्बर 293 के मध्य से समतल जमीन से होकर कटाणी रास्ता तक आवागमन किया जाता रहा है। लेकिन वर्तमान में ख0नं0 293 के खातेदार द्वारा इस खसरे की पश्चिमी सीमा पर खाली जमीन छोड़कर रास्ता होना मौके पर बताया है जो कि मौके पर टिब्बे की जमीन है। प्रार्थी द्वारा जिस रास्ता की मांग की गयी है वो निकटतम है। वैकल्पिक तौर पर प्रार्थीगण ख0नं0 293 के पूर्व में स्थित ख0नं0 1045/294 व 1094/294 के खेतों में से पगडण्डी बनाकर आवागमन कर रहे है जो कि पड़ौसी खातेदारों के खेत है। अप्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया गया कि प्रार्थी व गौणअप्रार्थीगण के पिता के समय का खातेदारी का खेत खसरा नं. 292 तादादी 25 बीघा रोही ग्राम चरला में स्थित है जिसमें खरीद के समय से आवागमन का रास्ता खसरा नं. 293 की पश्चिमी सीमा के पास–पास कटाणी रास्ते से फंटकर प्रार्थी व गौणअप्रार्थीगण के खेत में है जिसमें शुरू से ही प्रार्थी व गौणअप्रार्थीगण पशुधन, ऊंटगाडा, ट्रेक्टर ट्रोली सहित आवागमन करते है। खेत खसरा नं. 293 के बीच में से प्रार्थी व गौणअप्रार्थीगण का कभी रास्ता नहीं रहा है। उक्त कथन साबित नहीं होता है क्योंकि तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के संलग्न फर्द मौका दिनांकित 27.04.2017 एवं फर्द मौका व नजरी नक्शा दि0 19.09.2024 में स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 293 के मध्य में से प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 292 में आवागमन का रास्ता रहा है। रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि जो रास्ता अप्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 293 के पश्चिमी दिशा में बताया है वो निकटतम नहीं है तथा मौके पर टिब्बा होने के कारण सुगम भी नहीं है। फर्द मौका दि0 19.09.2024 अनुसार मौके पर अप्रार्थी सिरामाराम ने जाहिर किया कि वर्षों पूर्व ख0नं0 292 में जाने के लिए ख0नं0 293 के मध्य से किधर से भी आवागमन करते थे लेकिन अब खेत ख0नं0 292 के पश्चिम में से आवागमन हेतु रास्ता देना स्वीकार किया है जिसे ख0नं0 292 के खातेदार ने आपति कर सहज होना नहीं बताया।

पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तथा रिपोर्ट तहसीलदार का भलीभांती अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। इस प्रकरण में तहसीलदार द्वारा दो बार मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है और दोनों ही बार रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि प्रार्थी के खेत में आवागमन का एकमात्र रास्ता अप्रार्थीगण के खेत के मध्य से होकर रहा है। उपरोक्त दोनों की रिपोर्ट का खण्डन इस प्रकरण में किसी भी साक्ष्य से नहीं हुआ है। मामला धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से सम्बन्धित है जो संक्षिप्त विचारण का प्रकरण है। सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों ओर मौका रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है जो स्वीकार किया जाता है।

–:आदेशः–

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत रोही ग्राम चरला तहसील सुजानगढ़ के खसरा संख्या 292 में आवागमन के लिए खसरा संख्या 293 वाके रोही ग्राम चरला के मध्य में से

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

ट्रेक्टर, ट्रॉली, उंठगाडा आदि के आवागमन के लिए (2 गट्ठा) सुलभ रास्ता मुताबिक नजरी नक्शा 27.04.2017 एवं 19.09.2024 दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सुजानगढ़ उक्त रास्ते का अंकन सम्बन्धित राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर मुताबिक रास्ता के नक्शा तरमीम करें तथा मौके पर मौका रिपोर्ट के अनुरूप रास्ता कायम किया जावे। प्रार्थीगण उक्तानुसार रास्ते के रूप में आने वाली भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. की दर का दौगुणा राशि नियमानसुार राजकोष में जमा करवायें। तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़